



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

संख्या : ए-49/16/5/2013-रा.भा.

दिनांक : 02 अप्रैल, 2019

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, नई दिल्ली।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय।
4. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर।
5. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल।

विषय : कर्मचारी राज्य बीमा निगम इकाइयों में तैनात अधिकारियों द्वारा हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेसन देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2018-2019

महोदय,

राजभाषा विभाग की उपर्युक्त योजनानुसार जो अधिकारी वित्त वर्ष में हिंदी डिक्टेसन का अपेक्षित रिकॉर्ड रखते हैं वे इस योजना में भाग ले सकते हैं। हिंदी डिक्टेसन योजना के अंतर्गत कार्यालय प्रमुखों के साथ-साथ अन्य अधिकारी भी भाग ले सकते हैं। परंतु पिछले कुछ समय से यह देखने में आया है कि इस प्रोत्साहन योजना में निगम के बहुत कम अधिकारी भाग लेते हैं। प्रतिभागियों की संख्या सीमित होने के कारण योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

अतः उक्त प्रोत्साहन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक अधिकारी इस योजना से परिचित हो सकें और उनमें हिंदी में काम करने और करवाने के प्रति रुचि उत्पन्न हो। इस योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारी द्वारा डिक्टेसन का रिकॉर्ड निम्न विहित प्रपत्र में रखा जाना अपेक्षित है :-


क्र.सं.	दिनांक	डिक्टेसन में लिखी गई पंक्तियों की संख्या	फाइल संख्या	अभ्युक्ति

इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र कार्यालयों (फील्ड यूनिट) के अधिकारियों (कार्यालय प्रमुख को छोड़कर) के डिक्टेसन रिकॉर्ड की जांच संबंधित कार्यालय स्तर पर की जानी अपेक्षित है। इसमें विजेता अधिकारी को हिंदी भाषी एवं हिंदीतर भाषी वर्ग के अंतर्गत ₹ 5,000/- (पांच हजार रुपये केवल) प्रत्येक को पुरस्कार देने की व्यवस्था है। इस प्रकार किसी कार्यालय में केवल दो पुरस्कार स्वीकृत किए जा सकते हैं।

उक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत स्वीकार्यता के लिए आवश्यक हिंदी डिक्टेसन कार्य की न्यूनतम संख्या प्रतिवर्ष 100 डिक्टेसन है। आशुलिपिक आदि संबद्ध न होने की स्थिति में हाथ से लिखी हुई पंक्तियां भी डिक्टेसन मानी जाएंगी। 10 पंक्तियों से कम के डिक्टेसन की गणना नहीं की जाएगी। इसके साथ न्यूनतम 10 नमूने भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अतः निवेदन है कि योजना के अंतर्गत सभी इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएं और अपने कार्यालय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत पुरस्कृत अधिकारियों की सूची मुख्यालय भिजवाई जाए।


भवदीय,


02.4.19..
(श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि :

वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें।


02.4.19..
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)